



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042026-271536
CG-DL-E-02042026-271536

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1648]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/ चैत्र 12, 1948

No. 1648]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/ CHAITRA 12, 1948

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2026

का.आ. 1713(अ).— इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या [एस.ओ. 2666(ई), दिनांक 20 नवंबर, 2017], जिसके द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया था, और अधिसूचना संख्या [एस.ओ. 3184(ई), दिनांक 13 जुलाई, 2022] के क्रम में, केंद्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद का इस सीमा तक पुनर्गठन करती है कि उक्त परिषद में क्रमांक 12 से 21 तक के सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से रोटेटेड माने जाएंगे, नामतः:-

पूर्वोक्त अधिसूचना में [एस.ओ. 3184(ई), दिनांक 13 जुलाई, 2022], सारणी की क्र. सं. 12 से 21 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

सारणी

क्र. सं.	नाम	पदनाम
12.	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, गुजरात सरकार (अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित)	सदस्य (पदेन)

13.	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, महाराष्ट्र सरकार (अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित)	सदस्य (पदेन)
14.	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मध्य प्रदेश सरकार (अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित)	सदस्य (पदेन)
15.	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार (अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित)	सदस्य (पदेन)
16.	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, असम सरकार (अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित)	सदस्य (पदेन)
17.	अध्यक्ष, भू संपदा विनियामक प्राधिकरण, तेलंगाना	सदस्य (पदेन)
18.	अध्यक्ष, भू संपदा विनियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश	सदस्य (पदेन)
19.	अध्यक्ष, भू संपदा विनियामक प्राधिकरण, हरियाणा (गुरुग्राम)	सदस्य (पदेन)
20.	अध्यक्ष, भू संपदा विनियामक प्राधिकरण, तमिलनाडु	सदस्य (पदेन)
21.	अध्यक्ष, भू संपदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार	सदस्य (पदेन)

2. जैसे कि इस अधिनियम की धारा 41 की उप-खंड/ धारा (3) के अंतर्गत व्यवस्था की गई है, इस सारणी के क्रमांक 12 से 21 पर बारी - बारी से चयन किए गए सदस्य इस अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए ऐसे सदस्य के रूप में पद पर रहेंगे।

नोट: मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में क्रमांक एस.ओ. 2666 दिनांक 20 नवंबर, 2017 को प्रकाशित हुई थी और बाद में एस.ओ. 3184 (ई) दिनांक 13 जुलाई, 2022 और एस.ओ. 3680(ई) दिनांक 16 अगस्त, 2023 द्वारा संशोधित की गई थी।

[फा. सं. ओ-17024/1059/2017-आवास अनुभाग-एमएचयूपीए /ई-9023391]

संजय कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2026

S.O. 1713(E).— In continuation of this Ministry's Notification No. [S.O. 2666(E), dated 20th November, 2017] constituting the Central Advisory Council under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016) (hereinafter referred to as the Act) and Notification No. [S.O. 3184(E), dated 13th July, 2022], the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 41 of the said Act, hereby reconstitutes the Council to the extent that the members at Serial Numbers

12 to 21 in the said Council shall stand rotated with effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, namely:-,

In the aforesaid notification No. [S.O. 3184(E), dated 13th July, 2022], for serial number 12 to 21 of the Table and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted namely: -

TABLE

S. No.	Name	Designation
12.	Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Government of Gujarat (dealing with implementation of the Act)	Member (ex-officio)
13.	Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Government of Maharashtra (dealing with implementation of the Act)	Member (ex-officio)
14.	Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Government of Madhya Pradesh (dealing with implementation of the Act)	Member (ex-officio)
15.	Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Government of Himachal Pradesh (dealing with implementation of the Act)	Member (ex-officio)
16.	Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Government of Assam (dealing with implementation of the Act)	Member (ex-officio)
17.	Chairman, Real Estate Regulatory Authority, Telangana	Member (ex-officio)
18.	Chairman, Real Estate Regulatory Authority, Uttar Pradesh	Member (ex-officio)
19.	Chairman, Real Estate Regulatory Authority, Haryana (Gurugram)	Member (ex-officio)
20.	Chairman, Real Estate Regulatory Authority, Tamil Nadu	Member (ex-officio)
21.	Chairman, Real Estate Regulatory Authority, Bihar	Member (ex-officio)

2. The members at serial numbers 12 to 21 of the table, selected by rotation, as provided under sub-section (3) of section 41 of the Act, shall hold office as such member for a period of three years, from the date of this notification.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 2666 dated 20th November, 2017 and subsequently amended vide S. O. 3184 (E) dated 13th July, 2022 and S. O. 3680(E) dated 16th August 2023.

[F. No. O-17024/1059/2017-HOUSING SECTION-MHUPA /E-9023391]

SANJAY KUMAR, Under Secy.